प्रमुख घटनाएं और उपलब्धियां

(फरवरी, 2019)

*****

प्रमुख घटनाएं एवं उपलब्धियां

1. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ के लिए सारंगपुर, चण्डीगढ में 50.76 एकड भूमि के अंतरण हेतु मंत्रिमंडल नोट को मंत्रिमंडल की 19.02.2019 को आयोजित बैठक में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।
2. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली को विश्व स्तरीय चिकित्सा विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने हेतु मास्टर प्लान के कार्यान्वयन को 'सैद्धांतिक' अनुमोदन दे दिया है।
3. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन(एनएचएम) के मिशन संचालन समूह (एमएसजी) की छठीं बैठक का आयोजन श्री अश्विनी कुमार चौबे, माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 02 फरवरी, 2019 को नई दिल्ली में किया गया। मिशन संचालन समूह (एमएसजी) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन(एनएचएम) के तहत गठित सर्वोच्च नीति-निर्धारक एवं संचालन संस्थान है। एमएसजी द्वारा एनएचएम के बारे में लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों का सार क्रम सं. 18 पर दिया गया है।
4. 2025 तक क्षयरोग मुक्त भारत सम्मेलन का 2-3 फरवरी, 2019 को आयोजन किया गया।
5. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 25-26 फरवरी, 2019 को वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य भागीदारी (जीडीएचपी) के चौथे सम्मेलन का तथा 27 फरवरी, 2019 को अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य सम्मेलन का नई दिल्ली में आयोजन किया गया। जीडीएचपी सरकारों, क्षेत्रों, सरकारी एजेंसियों तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन का सूचना आदान-प्रदान करने के क्षेत्र में सहयोग है। वर्तमान में, इस समूह के 23 राष्ट्र सदस्य हैं। जीडीएचपी कार्य सूची में मुख्य रूप से पांच कार्यों अर्थात् अंतर-परिचालन, साइबर सुरक्षा, नैदानिक और उपभोक्ता नियोजन एवं नीति पर्यावरण पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है।
6. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) ने नगालैंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी (एनएसएसीएस) के सहयोग से 18 फरवरी, 2019 को कोहिमा, नगालैंड में एचआईवी/एड्स के विरुद्ध एकीकृत पूर्वोत्तर के तहत पूर्वोत्तर मल्टीमीडिया अभियान का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य एचआईवी/एड्स के मसले के लिए बृहत्तर स्पष्टता उपलब्ध कराना, युवाओं में सुरक्षित और जिम्मेदार व्यवहार को प्रोत्साहित करना, एचआईवी/एड्स के बारे में रहस्यों का खुलासा करके कलंक और भेदभाव के स्तर में कमी लाना, एचआईवी/एड्स से संबंधित सेवाओं, विशेषकर एचआईवी परीक्षण को बढावा देना और एचआईवी/एड्स के बारे में सामान्य जागरूकता में वृद्धि करना है।
7. नाको ने भारत सरकार के प्रमुख विभागों/मंत्रालयों के साथ नाको में 26 फरवरी, 2019 को अपर सचिव और महानिदेशक (नाको एवं आरएनटीसीपी) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अध्यक्षता में अंतर-विभागीय/मंत्रालयी बैठक आयोजित की, जिनके साथ नाको ने समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस बैठक का उद्देश्य नाको के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों के आलोक में विभागों/मंत्रालयों द्वारा किए गए कार्यकलापों की प्रगति की समीक्षा करना तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए योजना और अपेक्षाओं को सूचीबद्ध करना था। 16 विभागों/मंत्रालयों से प्रतिनिधियों और आईएलओ ने बैठक में भाग लिया।
8. नाको ने आजीवन एंटीरेट्रोवायरल थैरेपी लेने वाले रोगियों के उपचार की प्रभाविता की निगरानी करने के लिए 26 फरवरी, 2019 को 'नियमित वायरल भार निगरानी' कार्यक्रम शुरू किया। पहले वर्ष के दौरान सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से प्राथमिकता समूहों के लिए 2.1 लाख वायरल भार

परीक्षण करने का लक्ष्य था। चार प्राथमिकता वाले वर्ग थे - एआरटी पर पीएलएचआईवी रोगी जिनका उपचार (प्रतिरक्षी अथवा नैदानिक) असफल रहा था, दूसरे और तीसरे चरण के एआरटी वाले सभी ऐसे पीएलएचआईवी रोगी, सभी महिलाएं तथा मुख्य आबादी के रूप में अभिज्ञात सभी पीएलएचआईवी रोगी थे। फरवरी, 2019 के अनुसार वार्षिक लक्ष्य वाले प्राथमिकता समूहों के बीच 2.1 लाख जांच सफलतापूर्वक किया गया।

9. विविध चिकित्सा कॉलेजों/संस्थानों के 14 स्नातकोत्तर (व्यापक विशेषज्ञता) पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान करते हुए अधिसूचना जारी की गई है।
10. न्यूनतम 50/100/150/200/250 एमबीबीएस वार्षिक प्रवेश अपेक्षा विनियम, 1999 को संशोधित किया गया ताकि पलंग अधिभोगता (अंतरंग रोगी) तथा ओपीडी उपस्थिति में 5% तक की छूट प्रदान की जा सके, बशर्ते कि पूर्ववर्ती तीन माह की आकलन तारीख के अनुसार तीन संगत तारीखों पर पलंग अधिभोग और ओपीडी उपस्थिति लागू मानकों के अनुसार हो।
11. चिकित्सा कॉलेज स्थापना विनियम, 1999 में यह संशोधन किया गया है कि खंड 8 के उप-खंड 3 (1) (क) से 3(1) (घ) को लागू करने से पूर्व, संस्थान से यह स्पष्टीकरण मांगने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सके कि उनके विरुद्ध उपरोक्त खंडों में निहित दंडात्मक प्रावधानों को लागू क्यों न किया जाए तथा सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद आदेश जारी कर इसका निपटान किया जा सके।
12. एमबीबीएस में प्रवेश के संबंध में दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत 'विशिष्ट अपंगता' वाले छात्रों के प्रवेश के संबंध में दिशा-निर्देश अधिसूचित किए गए हैं।
13. 'जिला/रैफरल अस्पतालों के साथ संबद्ध नए चिकित्सा कॉलेजों की स्थापना' की केन्द्र प्रायोजित योजना के चरण-I के तहत 10 राज्यों को 332.25 करोड़ रुपये और चरण-II के तहत 7 राज्यों को 96 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता दी गई।
14. देश में एमबीबीएस सीटों की बढ़ोत्तरी के लिए मौजूदा राज्य सरकार/ केंद्र सरकार के चिकित्सा कालेजों के उन्नयन के लिए केन्द्र प्रयोजित योजना के तहत 5 सरकारी चिकित्सा कालेजों के लिए 03 राज्यों को 7.70 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता जारी की गई।
15. नर्सिंग सेवाओं (एएनएम/जीएनएम) के उन्नयन/सुदृढ़ीकरण की योजना के तहत बिहार राज्य को 12.60 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है और नर्सिंग सेवाओं (नर्सों का प्रशिक्षण) के विकास संबंधी योजना के तहत कलावती सरन चिल्ड्रेन्स हास्पिटल, नई दिल्ली को 13,22,400/- रुपये की राशि जारी की गई।
16. राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत फरवरी, 2019 माह में लगभग 7.3 लाख मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा की गई, स्कूली बच्चों को 19595 चश्में नि:शुल्क वितरित किए गए और 6299 दानकृत नेत्र एकत्र किए गए।
17. **पीएमएसएसवाई के तहत मुख्य उपलब्धियां:**
    i. पीएमएसएसवाई के चरण-III के तहत केआईएमएस हुबली में सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक (एसएसबी) परियोजना को पूरा किया गया और दिनांक 6.3.2019 को माननीय प्रधान मंत्री ने इसका उद्घाटन किया (परियोजना की लागत 150 करोड़ रुपये है)।
    ii. माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने दिनांक 2.3.2019 को पीएमसीएच, पटना और आईजीआईएमएस, पटना में उन्नयन परियोजनाओं की नींव रखी।
    iii. दिनांक 12.3.2019 को एम्स, मंगलागिरी में ओपीडी सेवाएं शुरू की गई।
18. दिनांक 2 फरवरी, 2019 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के मिशन संचालन समूह (एमएसजी) की छठी बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान निम्नलिखित मुख्य निर्णय लिए गए:

i. स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों (एचडब्ल्यूसी) के लिए अनाबद्ध निधियों की बढोत्तरी: उप स्वास्थ्य केन्द्रों को स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों में अंतरित करने हेतु अनाबद्ध योजना निधियों के लिए राशि का अनुमोदन किया गया जिन्हें 20000 रुपये से बढ़ाकर 50000 किया जाना है।

ii. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आपातकालीन परिवहन एंबुलेंसों (डायल-108) के लिए परिचालनात्मक लागत मानदंडों के तार्किकरण का अनुमोदन किया गया जिसमें उत्तर पूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों के लिए साझेदारी पैटर्न 90:10 का है और बिना विधान मंडल वाले संघ राजय क्षेत्रों के लिए यह 100 प्रतिशत और अन्य राज्यों तथा विधान मंडल वाले अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के लिए यह साझेदारी पैटर्न 60:40 है। तथापि, एनएचएम के तहत डॉयल 102 एवं डायल 108 एंबुलेंसों की पूंजीगत लागत संबंधी सहयोग को समाप्त कर दिया जायेगा।

iii. शहरी मलिन बस्तियों के किशोर बालिकाओं के लिए सेनेटरी नैपकिनों के वितरण हेतु शहरी क्षेत्रों के भीतर मासिक धर्म स्वच्छता योजना के विस्तार पर ग्रामीण क्षेत्रों में पैटर्न के पैटर्न पर सहमति बनी।

iv. एचबीवाईसी के तहत युवा बाल संबंधी गृह आधारित परिचर्या (एचबीवाईसी) कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वयन शुरू करने पर सहमति बनी।

v. वर्ष 2025 तक एसडीजी के तहत क्षयरोग हेतु लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वैश्विक समय सीमा से पांच वर्ष पूर्व आरएनटीसीपी द्वारा चयनित राष्ट्रीय कार्यनीति योजना के तहत नई गतिविधियों को एमएसजी द्वारा अनुमोदन दिया गया है तथा तदुनसार राज्यों/संघ शासित द्वारा उनकी लागत प्रस्तुत की जाएगी।

vi. राज्यों/संघ शासित राज्यों/जिला को क्षयरोग/ कुष्ठ रोग/मलेरिया/काला-अजार/लिम्फेटिक फिलारिएसिस/मोतियाबिंदु के उन्मूलन पर पुरस्कार प्रदान करना।

vii. जिन राज्यों/जिलों ने उन्मूलन लक्ष्य की प्राप्ति की है, उनके लिए उप राष्ट्रीय स्तर के रोग उन्मूलन स्थिति दस्तावेज में पुरस्कार के प्रावधान को एमएसजी द्वारा मंजूरी दी गई है।

viii. राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस कार्यक्रम एमएसजी द्वारा हेपेटाइटिस बी के उपचार तथा प्रबंधन के तहत वायरल हेपेटाइटिस के प्रबंधन हेतु सेवाओं के विस्तार की मंजूरी दी गई।

ix. एनएचएम में जलवायु परिवर्तन तथा मानव स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों को शामिल किया गया । स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तथा मानव आबादी में रोगों के पैदा होने की जांच हेतु एमएसजी ने राज्य स्वास्थ्य विभागों/मिशन में जलवायु परिवर्तन परामर्शदाताओं को ठेकेदार लाने की मंजूरी दी है।

x. सभी चयनित एलएफ महामारीग्रस्त जिलों में एनएचएम के तहत एनवीबीडीसीपी के फिलारिएसिस कार्यक्रम के तहत रुग्णता प्रबंधन करने हेतु धनराशि में संशोधन किये गए।

xi. एमएसजी ने राज्यों के प्रस्तावों के आधार पर अन्य एएनएम के स्थान पर एनएचएम के तहत बहुउद्देशीय पुरुष कार्यकर्ता के समर्थन की मंजूरी दी है।

******